न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 53/2017(जी.सी.एम.एस. 2017/00123)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. चनन सिंह पुत्र माडू राम जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 10 श्रीकरणपुर।	1. सोहन सिंह पुत्र माडू सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. काकू सिंह पुत्र माडू सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जीत सिंह पुत्र माडू सिंह जाति बावरी निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 4. प्रेम सिंह पुत्र माडू राम जाति बावरी निवासी रानिया तहसील रानिया जिला रानीया जिला सिरसा हरियाणा। 5. गुरदेव सिंह पुत्र माडू सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 6. बचन कौर पत्नी रामजी पुत्री माडू सिंह जाति बावरी निवासी 10 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर। 7. रानो देवी पत्नी लालचंद पुत्री माडू सिंह जाति बावरी निवासी खेरूवाला ढाणी तहसील सादुलशहर। 8. सीता पत्नी लालचन्द पुत्री माडू सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 9. जगसीर सिंह पुत्र माडू सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 10. भगवान पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 11. वीरू राम पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः–22.06.2017

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादी
2.श्री जसकरण गोदारा प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8
3.श्री अषोक जोशी प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11

––निर्णय–– **दिनांकः 05.08.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 4 के 24 बीघा भूमि वादी के दादा मंहगा राम पुत्र बगू राम जाति बावरी को अलॉट हुई थी। मंहगा राम की मृत्यू उपरान्त उक्त भूमि का खातेदारी विरास्तन इन्तकाल 82 मंहगा राम के वारिसान ईसरो बेवा सम्पूर्ण सिंह, माडू राम, कपूर सिंह, हजूरा राम व बूटा राम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया। उक्त इन्द्राज से वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के दादा माडू राम पुत्र मंहगा राम के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ। जिस कारण उक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। वादी के पिता माडू राम व माता शामो बाई की मृत्यू के बाद माडू राम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है, जो माडू राम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा यानि 1.215 हैक्टेयर नहरी भूमि में बहिस्सा बराबर के हकदार है। वादी के पिता माडू राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण वादी का भूमि में जन्म अधिकार है। वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने-अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 तो सहमत हो गए। परन्तु प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 सहमत नहीं हुए और कहने लगे कि माडू राम ने उक्त भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम की हुई है। इसलिए वसीयत के मुताबिक उक्त भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दर्ज होगा। अगर प्रतिवादी संख्या 10, 11 के पास ऐसी कोई वसीयत है, तो वह सरासर फर्जी व कूटरचित तैयार की गई है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ. नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्द सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 में माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी को 1/10 हिस्सा यानि 0.1215 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व उक्त भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 6 ता 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा व प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5, 8 के द्वारा स्वंय सहमति को जवाबदावा पेश किया गया। सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 61-एफए के खाता संख्या 2/23 सम्वत्त 2066-2069 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 4 के 24 बीघा नहरी भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम 1/5 हिस्सा भूमि अर्थात 1.215 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि मंहगा राम पुत्र बगुराम के उत्तरजीवियों के नाम दर्ज हुई थी। माडूराम को यह भूमि विरास्तन प्राप्त होने अथवा वादाधीन भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी की होने के कथन गलत अंकित किये गये हैं। यह भूमि माडूराम की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। माडूराम अपनी मृत्यु होने तक प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पास ही रहता रहा। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 व श्रीमती मनजीत कौर ही उसकी सेवा चाकरी तथा देखरेख करते रहे। इससे खुश होकर माडूराम ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बिना की दबाव अथवा प्रभाव के एक सीलबन्द पंजिकृत वसीयत दिनांक 11.05.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 10 वा 11 के पक्ष में निष्पादित कर दी। माडूराम पुत्र मंहगाराम का देहान्त दिनांक 23.11.2015 को हो चुका है। देहान्त हो जाने से अपनी उक्त कृषि भूमि के बाबत की गई वसीयत अन्तिम हो चुकी है तथा उसके नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि जरिये वसीयत प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के नाम हो चुकी है। विधि अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आज्ञापक है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 इसे अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः चक 61-एफ ए के खाता संख्या 2/23 की जमाबन्दी सम्वत्त 2066 ता 2069 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.074 हैक्टेयर नहरी भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा अर्थात 1.215 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण माडूराम की वसीयत दिनांक 11.05.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादी राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्द सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादी को 1/10 हिस्सा यानि 0.1215 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

(ii)आया कि क्या वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 10, 11 वसीयत दिनांक 11.05.2015 के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है? -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 9 ता 11-

(iii)अनुतोष।

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रदर्श-1ए माडू राम के मृत्यू प्रमाण की प्रति, प्रर्दश-2ए राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्द सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 की प्रति,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रदर्श-3 ए वसीयतनामा दिनांक 11.05.2015 माडूराम बहक भगवान, वीर सिंह उर्फ वीरू राम की प्रति प्रदर्शित करवाए व स्वंय जगसीर सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादी द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या वादी राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू. अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्द सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादी को 1/10 हिस्सा यानि 0.1215 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। परन्तु वादी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में उक्त विवाद्यक को सिद्व करने के लिए साक्ष्यवादी पेश नहीं की है। इसलिए यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 10, 11 वसीयत दिनांक 11.05.2015 के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 की थी। वादी के द्वारा काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि वादगत भूमि माडूराम की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। माडूराम अपनी मृत्यु होने तक प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पास ही रहता रहा। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 11 व मनजीत कौर ही उसकी सेवा चाकरी तथा देखरेख करते रहे। इससे खुश होकर माडूराम ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बिना की दबाव अथवा प्रभाव के एक सीलबन्द पंजिकृत वसीयत दिनांक 11.05.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 10 वा 11 के पक्ष में निष्पादित कर दी। माडूराम पुत्र मंहगाराम का देहान्त दिनांक 23.11.2015 को हो चुका है। देहान्त हो जाने से अपनी उक्त कृषि भूमि के बाबत की गई वसीयत अन्तिम हो चुकी है तथा उसके नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि जरिये वसीयत प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के नाम न्यायगत हो चुकी है। विधि अनुसार उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आज्ञापक है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रदर्श-3 ए वसीयतनामा दिनांक 11.05.2015 में माडूराम पुत्र मंहगाराम के द्वारा चक 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073, वास्तविक सम्वत 2070 के खाता संख्या 31/32 के मुरब्बा नम्बर 4 के सांझे खाते में कुल 25 बीघा भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि कब्जाकाश्त के अनुसार 3, 8, 13, 18, 23 कुल 5 बीघा नहरी भूमि भगवान व वीर सिंह उर्फ वीरूराम पिसरान जगसीर सिंह पुत्र माडूराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर निष्पादित की गई है। जो एक बन्द वसीयत थी। जिसे जिला पंजीयन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.05.2016 को निर्धारित राजकीय शुल्क रसीद नम्बर 85/3, 540/- रुपए राजकोष में जमा करवाकर खोला जाकर पंजीबद्व किया गया है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 10, 11 वसीयत दिनांक 11.05.2015 के अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 2 बहक प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 विरूद्व वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः प्रतिवादी संख्या 10, 11 को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर भूमि वसीयत दिनांक 11.05.2015, पंजीबद्ध दिनांक 18.05.2016 की रूह से प्रतिवादी संख्या 10 भगवान पुत्र जगसीर सिंह व प्रतिवादी संख्या 11 वीर सिंह उर्फ वीरू राम पुत्र जगसीर सिंह को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

चनन सिंह वनाम सोहन सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर **53/2017**

निर्णय दिनांक :- 05.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी, श्री जसकरण गोदारा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टेयर भूमि, वसीयत दिनांक 11.05.2015, पंजीबद्व दिनांक 18.05.2016 की रूह से प्रतिवादी संख्या 10 भगवान पुत्र जगसीर सिंह व प्रतिवादी संख्या 11 वीर सिंह उर्फ वीरू राम पुत्र जगसीर सिंह को बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। आज दिनांक 05.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 05.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/448

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर